सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः– 2025/761 दर्ज तिथिः–17.11.2025

1. केसाराम पुत्र दमाराम
2. मीरो देवी पत्नी दमाराम
3. राउराम पुत्र चेतनराम
4. राजूराम पुत्र चेतनराम
5. रायचन्दराम पुत्र चेतनराम
6. प्रेमसिंह पुत्र दमाराम फौत के कायम मुकाम
   6/1 विक्रम पुत्र प्रेमसिंह नाबालिक की वली माता प्रार्थी संख्या 6/2 चतरू
   6/2 चतरू पत्नी प्रेमसिंह जाति जाट निवासी हुकमोणी खोतो की ढाणी तहसील नोखड़ा
7. दोली पत्नी चेतनरामत फौत के कायम मुकाम प्रार्थी संख्या 01 से 06

पार्टी संख्या 01

8. निम्बाराम पुत्र मगाराम
9. शेराराम पुत्र मगाराम
10. हीराराम पुत्र मगाराम
    जाति जाट निवासी हुकमोणी खातो की ढाणी तहसील नोखड़ा

पार्टी संख्या 02

11. अचलसिंह पुत्र सोनाराम
12. कसूम्बी पत्नी सोनाराम
13. चिमाराम पुत्र सोनाराम
14. मूलाराम पुत्र सोनाराम
15. हेमाराम पुत्र सोनाराम
    जाति जाट निवासी हुकमोणी खोतो की ढाणी तहसील नोखड़ा।

पार्टी संख्या 03

16. नेनाराम पुत्र कानाराम
    जाति जाट निवासी हुकमोणी खोतो की ढाणी तहसील नोखड़ा

पार्टी संख्या 04

बनाम

1. तहसीलदार नोखड़ा।
2. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया कृषि विकास शाखा गुड़ामालानी।

...............अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री डालूराम चौधरी
अप्रार्थीगणः–श्री ठाकरराम चौधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:00:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131,136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—30.03.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि

   - कि पार्टी संख्या 01 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 55/0.0647 है0, 56/11.1941 है0, 56/4/0.5175 है0 व पार्टी संख्या 02 की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 54/0.0243 है0, 56/6/0.0405 है0, 56/7/3.8526 है0 व पार्टी संख्या 03 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 53/0.0567 है0, 56/8/3.8283 है0 व पार्टी संख्या 04 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 56/2/2.3553 है0, 56/5/1.5702 है0 मौजा हुकमोणी खोतो की ढाणी तहसील नोखड़ा में अवस्थित है। इसी अनुसार पार्टी संख्या 01 से 04 मौके पर काबिज काश्त करते आ रहे है।
   - कि खसरा संख्या 56, 56/4, 56/6, 56/7, 56/8, 56/2, 56/5 मूल खसरा संख्या 56 से विभक्त होकर बने है। उक्त खसरो की रकबा बरारी व लट्ठा ट्रैस मौके से भिन्न कर दी गई है।
   - कि खसरा संख्या 56 व 56/4 पार्टी संख्या 01 के है जिसकी तरमीम व रकबा बरारी गलत की गई है, खसरा संख्या 56 मौके पर 11.1941 है0 है जबकि रेकर्ड में रकबा 10.8213 है0 लिख दिया गया है तथा खसरा संख्या 56/4 का रकबा मौके पर 0.5175 है0 है जबकि रेकर्ड में 0.8903 है0 अंकित किया गया है एवं तरमीम मौके व रेकर्ड से भिन्न कर दी गई है।
   - कि खसरा संख्या 56/6 व 56/7 पार्टी संख्या 02 के है जिसकी तरमीम व रकबा बरारी मौके अनुसार नहीं की गई है। खसरा संख्या 56/6 का रकबा मौके पर 0.0405 है0 है। जबकि राजस्व रेकर्ड में 3.8526 है0 लिख दिया गया है। खसरा संख्या 56/7 का मौके पर रकबा 3.8526 है0 जबकि राजस्व रेकर्ड में रकबा 0.0405 है0 अंकित कर दिया गया है।
   - कि खसरा संख्या 56/2 व 56/5 पार्टी संख्या 04 के है। जिसकी तरमीम व रकबा बरारी मौके अनुसार नहीं की गई है। खसरा संख्या 56/2 का रकबा मौके पर 3.0398 है0 है। जबकि राजस्व रेकर्ड में 2.3553 है0 लिख दिया गया है। खसरा संख्या 56/5 का मौके पर रकबा 0.8857 है0 जबकि राजस्व रेकर्ड में रकबा 1.5702 है0 अंकित कर दिया गया है।
   - कि पार्टी संख्या 01 के खसरा संख्या 56/4 का राजस्व रेकर्ड से मौके पर रकबा कम है तथा खसरा संख्या 56 का राजस्व रेकर्ड से मौके पर रकबा ज्यादा है। अर्थात खसरा संख्या 56/4 का रकबा राजस्व रेकर्ड में जितना कम हो रहा है उतना ही खसरा संख्या 56 में रकबा राजस्व रेकर्ड में बढ़ रहा है।
   - कि पार्टी संख्या 03 के दोनो खसरो संख्या का रकबा अप्रभावित रहता है। इसी प्रकार पार्टी संख्या 02 के खसरा संख्या 56/6 का रेकर्ड से मौके पर रकबा कम है तथा खसरा संख्या 56/7 का राजस्व रेकर्ड से मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:00:36 IST
Reason: SelfAttested

रकबा ज्यादा है। अर्थात खसरा संख्या 56 / 6 में जितना राजस्व रेकर्ड से रकबा कम हो रहा है उतना ही रकबा खसरा संख्या 56 / 7 में बढ़ रहा है। दोनो खसरों का कुल रकबा अप्रभावित रहता है।

- पार्टी संख्या 4 के खसरा संख्या 56 / 5 का राजस्व रेकर्ड से मौके पर रकबा कम है तथा खसरा संख्या 56 / 2 का रेकर्ड से मौके पर रकबा ज्यादा है, अर्थात खसरा संख्या 56 / 5 में राजस्व रेकर्ड में जितना रकबा कम हो रहा है उतना ही रकबा खसरा संख्या 56 / 2 में बढ़ रहा है। दोनो खसरों का कुल रकबा अप्रभावित रहता है।
- कि पार्टी संख्या 01 से 04 के खेत मौके, राजस्व रेकर्ड व नक्शा की असमानता होने पक्षकारान को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है तथा मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। वर्तमान में अशुद्ध तरमीम व राजस्व रेकर्ड को परिशिष्ट 'ए' में, प्रस्तावित दुरूस्त रकबा परिशिष्ट 'बी' तथा प्रस्तावित तरमीम परिशिष्ट 'सी' में प्रदर्शित किया है। पार्टी संख्या 01 से 04 के खसरों की का रकबा एवं तरमीम मौके अनुसार किये जाने का निवेदन किया है।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में पार्टी संख्या 01 से 04 उक्त तरमीम व राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त करवाने हेतु सहमत है। इस प्रकार प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा से मौका रिपोर्ट मंगवाया जाना अपेक्षित नहीं है।

3. प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा द्वारा वर्तमान रकबा एवं प्रस्तावित रकबा के संबंध में परिशिष्ट 'ए' व 'बी' प्रस्तुत किया गया है। जिसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाना उचित है। परिशिष्ट 'ए' व 'बी' का तुलनात्मक अध्ययन निम्नानुसार है—

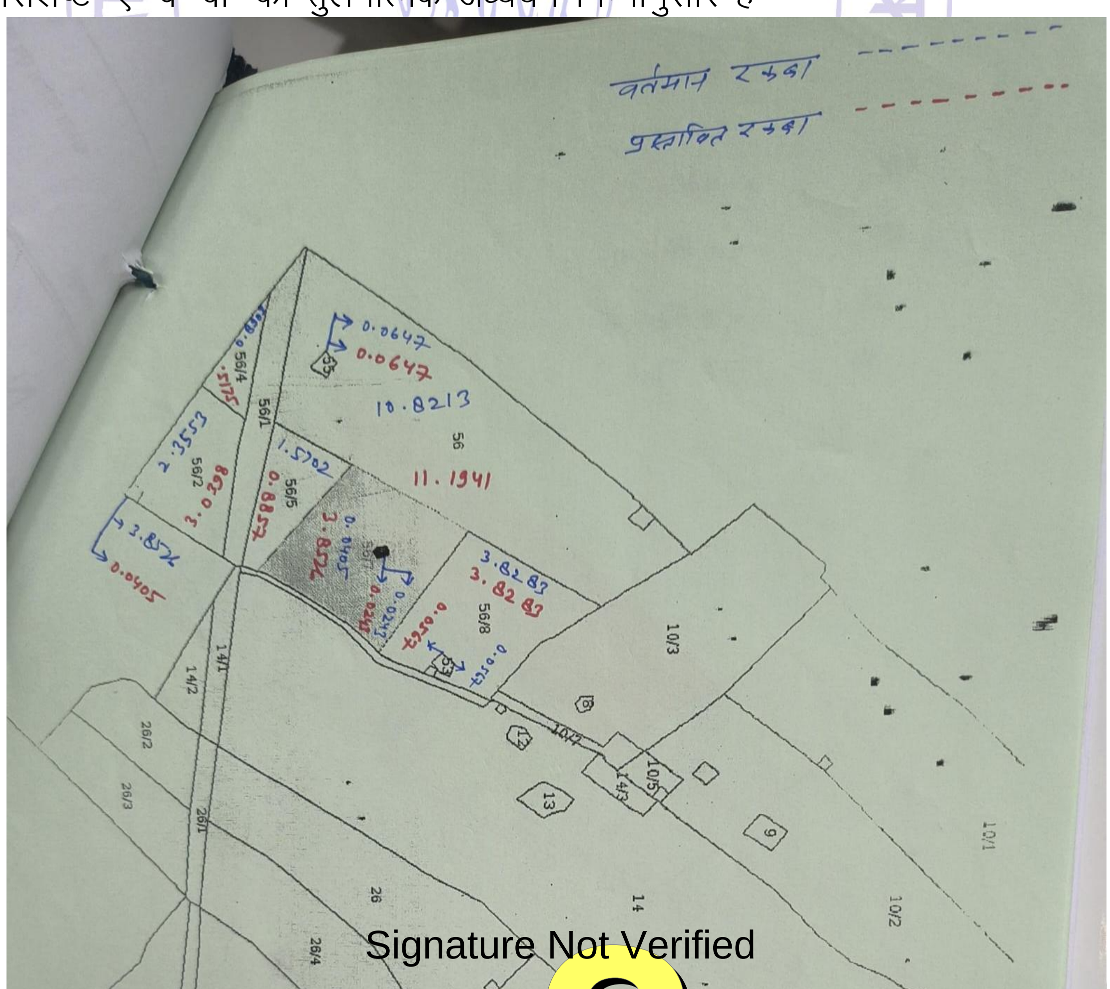

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:00:36 IST
Reason: SelfAttested

5. प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा खसरों की प्रस्तावित तरमीम शुद्धि के संबंध में परिशिष्ट 'सी' प्रस्तुत किया है। जिसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाना उचित है। परिशिष्ट 'सी' का तुलनात्मक अध्ययन निम्नानुसार है

गुढामालानी

6. प्रकरण में प्रार्थीगण पार्टी संख्या 01 से 04 के मूल खसरा संख्या 56 से विभक्त खसरा संख्या 56, 56/4, 56/6, 56/7, 56/8, 56/2, 56/5 की राजस्व रिकॉर्ड व तरमीम दुरूस्त परिशिष्ट 'ए' 'बी' एवं 'सी' अनुसार किये जाने से सभी प्रार्थीगण पार्टी संख्या 01 से 04 सहमत है। अतः मूल खसरा संख्या 56 से विभक्त खसरा संख्या 56, 56/4, 56/6, 56/7, 56/8, 56/2, 56/5 की राजस्व रिकॉर्ड व तरमीम दुरूस्त परिशिष्ट 'ए' 'बी' एवं 'सी' अनुसार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश है कि

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है मूल खसरा संख्या 56 से विभक्त खसरा संख्या 56, 56/4, 56/6, 56/7, 56/8, 56/2, 56/5 की राजस्व रिकॉर्ड व तरमीम दुरूस्त परिशिष्ट 'ए' 'बी' एवं 'सी' अनुसार अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:00:36 IST
Reason: SelfAttested

केसाराम बनाम तहसीलदार नोखड़ा
2025 / 761
निर्णय दिनांकः—30.03.2026

तरमीम दुरूस्ती किये जाने के निम्न तालिकानुसार आदेश दिये जाते हैं। परिशिष्ट 'ए' 'बी' एवं 'सी' निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

क्र. स.	मूल खसरा	राजस्व गांव	विभक्त खसरा सख्ंया	वर्तमान रकबा	मौके पर रकबा	प्रस्तावित रकबा	परिशिष्ट
1	56	हुकमोणी खोतो की ढाणी पटवार हल्का मालपुरा तहसील नोखड़ा	56	10.8213	11.1941	11.1941	''ए'' ''बी''
2	56		56/4	0.8903	0.5175	0.5175	''ए'' ''बी''
3	56		56/6	3.8526	0.0405	0.0405	''ए'' ''बी''
4	56		56/7	0.0405	3.8526	3.8526	''ए'' ''बी''
5	56		56/8	3.8283	3.8283	3.8283	''सी''
6	56		56/2	2.3553	3.0398	3.0398	''ए'' ''बी''
7	56		56/5	1.5702	0.8857	0.8857	''ए'' ''बी''
योग				23.3585	23.3585	23.3585	''ए''''बी''सी''

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार नोखड़ा को भिजवायी जावें।
यह आदेश आज दिनांक 30.03.2026 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

न्यायालय सहायक कलक्टर उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:00:36 IST
Reason: SelfAttested